न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्र0क0 3730–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 22–9–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्र0 क0 735/अपील/2013–14.

ज्ञानी प्रसाद मिश्रा तनय श्री हेतराम मिश्रा
निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील मैहर,
जिला सतना म0प्र0

––– आवेदक

विरूध्द

शासन मध्यप्रदेश जरिये खनिज निरीक्षक मैहर
जिला सतना म0प्र0

––– अनावेदक

– – –

श्री अरूण कुमार साहू, अभिभाषक– आवेदक
श्री एच0के0 अग्रवाल, अभिभाषक–अनावेदक

– – –

आदेश

(आज दिनांक 11 –11–2014 को पारित)

– – –

यह निगरानी आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 735/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22–9–2014 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 6/ए–67/2006–07 में पारित आदेश

दिनांक 27—9—2007 में आवेदक के विरूद्ध ग्राम नौरारा की शासकीय भूमि कमांक 93 पर अवैद्य उत्खनन पाये जाने पर रूपये 2,12,000/— अर्थदण्ड एवं शास्ति अधिरोपित की गई थी। आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 16—10—2009 को अदम पैरवी में खारिज हुई। आवेदक ने धारा 35(3) का आवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तत किया। अपर कलेक्टर ने उनके समक्ष प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन को अपने आदेश दिनांक 22—7—2014 के द्वारा 4½ वर्ष की अवधि के विलम्ब का समाधानकारक नहीं बताये जाने के कारण निरस्त किया गया। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 22—9—2014 द्वारा खारिज की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने पहले दिनांक 31—7—14 को अपील सुनवाई के लिए ग्राह्य कर अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 22—7—14 के आदेश का कियान्वयन 45 दिवस तक स्थगित करने का आदेश दिया था, परन्तु बाद में दिनांक 22—9—14 को अपील को ग्राह्यता के बिन्दु पर ही खारिज कर दिया एवं स्थगन आदेश भी निरस्त कर दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। एकबार अपील सुनवाई के लिए ग्राह्य कर लेने के बाद उसे ग्राह्यता के बिन्दु पर खारिज नहीं की जा सकती है।

4/ शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण अवैद्य उत्खनन की वसूली से संबंधित है। आवेदक के विरूद्ध अवैद्य उत्खनन सिद्ध पाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी मैहर द्वारा आदेश दिनांक 27—9—07 के द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किया था, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 22—7—14 जिसमें साढे चार वर्ष अवधि व्यतीत होने एवं विलंब के कारण धारा 35(3) का आवेदन निरस्त किया था, का कियान्वयन अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 31—7—14 के द्वारा 45 दिवस के लिए स्थगित किया था एवं दिनांक

22–9–14 को अपीलांट अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद तथा इस आधार पर कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय आदेश के बाद पेश पुर्नस्थापन आवेदन धारा 35(3) का 4½ वर्ष बाद प्रस्तुत किया था। अपर कलेक्टर द्वारा उस आवेदन को निरस्त करना उचित मानते हुये अपर आयुक्त न्यायालय ने अपने स्वयं के आदेश दिनांक 31–7–14 को दिया गया आदेश निरस्त करते हुये अपील निरस्त की गई। 45 दिवस पूर्ण होने पर स्थगन आदेश भी स्वतः निरस्त हो गया। अपर आयुक्त का उक्त आदेश विधिवत सुनवाई के पश्चात किया गया है जो विधिअनुसार है। निगरानीकर्ता बार–बार प्रकरण को चलाकर तथा विलंब कर वसूली से बचना चाहता है। अतः यह निगरानी आवेदन निरस्त किया जाये।

5/ उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने दिनांक 31–7–14 को प्रथम सुनवाई में ही अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 22–7–14 का कियान्वयन 45 दिवस तक स्थगित रखने का आदेश दिया था एवं बाद में अपीलांट अधिवक्ता के तर्क सुनने के पश्चात यह माना कि अपर कलेक्टर के द्वारा दिनांक 22–7–14 को विधिवत विवेचना कर न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है। धारा 35(3) के अन्तर्गत पुर्नस्थापन आवेदन 4½ वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि अपर आयुक्त ने विचाराधीन आदेश में अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर खारिज की है, परन्तु यह स्पष्ट है कि उन्होंने उक्त आदेश दस्तावेजों का अवलोकन तथा अपीलांट के तर्क सुनने के पश्चात किया है। इसलिए शासकीय अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुये इस निगरानी को ग्राह्य करने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर